

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, शनिवार, जून 16, 1984/ज्येष्ठ 26, 1906
No. 212] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 16, 1984/JYASTHA 26, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 1984

अधिमूखना

सं. 146/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा का नि. 455(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम,
1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत

उक्त अधिसूचना से उपायार्थी संरणी में, क्रम सं. 1 के समाने ~~सं. 4~~ 4 में निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“अदि उक्त स्क्रिप या अपशिष्ट से ऐसा पुनः संसाधन या उत्पाद भारत में किया जाता है।”।

[फा. सं. 341/8/84-टी आर यू]
गौतम रे, ज्यवर सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th June, 1984

NOTIFICATION

No. 146|84-CENTRAL EXCISES

ISSR. 455(E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 70/84-Central Excises, dated the 1st March, 1984, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against S. No. 1, in column (4), the following condition shall be inserted, namely :—

"If such reprocessing from, or production out of, the said scrap or waste is done in India."

[F. No. 341/8 84-TRY]
GAUTAM RAY, Under Secy.